रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072023-247374 CG-DL-E-17072023-247374

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3024] No. 3024] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2023/आषाढ़ 26, 1945 NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2023

का.आ. 3153(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का ब्यूरो के साथ परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इस आदेश को वेल्डिंग रॉड्स और इलेक्ट्रॉड्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।
- (2) यह प्रकाशन की तारीख से छ: माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा:

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित लघु उद्यमों के लिए यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यमों के लिए यह आदेश अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद प्रभावी होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तद्नुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो(अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

4559 GI/2023 (1)

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते इसके अलावा कि इस आदेश में से कुछ भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के 'उद्यम पोर्टल' के तहत पंजीकृत उद्यमों द्वारा स्वदेशी रूप से विनिर्मित वस्तुओं अथवा सामान पर लागू नहीं होगा, जिसमें मूल लागत पर संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरण में निवेश पच्चीस लाख रूपए से अधिक नहीं है तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यथा सत्यापित उत्पादन पिछले वित्तीय वर्ष में दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं है।

- 3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण यह ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।
- 4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु अथवा सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्ष
(1)	(2)	(3)
वेल्डिंग रॉड्स और इलेक्ट्रॉड्स	814:2004	कार्बन और कार्बन मैंगनीज स्टील की मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के लिए कवर्ड इलेक्ट्रॉड
	6419:1996	स्ट्रक्चरल स्टील की गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग रॉड्स और बेयर इलेक्ट्रॉड

नोट– इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/9/2022-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 14th July, 2023

- **S.O.** 3153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-
- **1. Short title and commencement.-** (1) This Order may be called The Welding Rods and Electrodes (Quality Control) Order, 2023.
- (2) It shall come into force with effect from six months from the date of publication of this notification:

Provided that for **Small Enterprises**, as defined under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from **nine months** from the date of publication of this notification.

Provided that for **Micro Enterprises**, as defined under The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force with effect from **twelve months** from the date of publication of this notification.

2. **Compulsory use of Standard Marks.-** Goods or articles specified in the column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically meant for export:

Provided further that nothing in this Order shall apply to goods or articles manufactured domestically by an enterprise, registered under "Udyam portal" of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, wherein the investment in plant and machinery or equipment at original cost does not exceed twenty-five lakh and the turnover does not exceed two crore rupees for the previous financial year as certified by a Chartered Accountant.

- **3. Certification and enforcing authority.-** The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the said Table.
- **4. Penalty for contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Welding Rods and	814:2004	Covered electrodes for manual
Electrodes		metal arc welding of carbon and carbon
		manganese steel
	6419:1996	Welding rods and bare electrodes for gas shielded
		arc welding of
		structural steel

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments issues thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply from the date of such notification.

[F. No. P-29026/9/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.